

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय वित्त समिति की 11वीं बैठक के मद संख्या: 11•05 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 18वीं बैठक के मद संख्या: 2018/2•18 के निर्णयानुसार कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसी प्रतिष्ठित कम्पनी के मेडिकलेम बीमा प्रीमीयम पर व्यय की गई धनराशि अधिकतम ₹ 10,000=00 प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

व्यय का वहन धन की उपलब्धता/आवश्यकता अनुसार प्राविधानित बजट/अपने श्रोतों से किया जायेगा।


  
कुलसचिव

पृ०सं०/मा०प्रौ०वि०/4-2/ 892 /2018

दिनांक: 2/8/ 2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वै०स० कुलपति को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ ।
02. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / अनुभागीय अधिकारी / यूनिट के प्रभारी
03. वित्त नियन्त्रक
04. प्रभारी, पुस्तकालय
05. वेब मास्टर

  
कुलसचिव